मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1263/1734/चार/ब-1/98 भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर, 1998

प्रति,

समस्त विभाग,
म.प्र. भोपाल।

विषय :—पुनर्विनियोजन एवं समर्पण से संबंधित आदेश निर्धारित समय सीमा में महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने बाबत।

महालेखाकार द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के आदेश निर्धारित समय सीमा से उनको उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, जिसके कारण लेखे तैयार करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के अधिकार प्रशासकीय विभागों को प्रत्यायोजित करते समय स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि विभागों द्वारा प्रसारित किये जा रहे आदेशों की प्रति महालेखाकार को प्रत्येक वर्ष में 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराये जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेशों के अनुसार महालेखाकार को पुनर्विनियोजन आदेश निर्धारित समयावधि में न भेजे जाने के कारण महालेखाकार द्वारा अनावश्यक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में प्रारूप कण्डिका बनाए जाने के स्थिति को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ अधिकारीगणों को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें कि 30 अप्रैल के पूर्व पुनर्विनियोजन/समर्पण के आदेशों की प्रति महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह व्यवस्था प्रतिवर्ष के लिए स्थाई तौर से अपनाई जाय।

हस्ता/-

(आर.एन.पचौरी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृक्र.1264/चार/ब-1/98 भोपाल दिनांक 17 सितम्बर, 98

प्रतिलिपि :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम-द्वितीय, ग्वालियर।
3. उप सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग।

हस्ता/-
(आर.एन.पचौरी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग